(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

<u>सार्वजनिक सूचना सं. 08/2023</u>

नई दिल्ली, दिनांकः 21 अप्रैल, 2023

विषयः संयुक्त राज्य राजकोषीय वर्ष 2023 के लिए प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को खांड के निर्यात के लिए 2360 मी.टन की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन।

विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा संयुक्त राज्य राजकोषीय वर्ष, 2023 (01 अक्तूबर, 2022 से 30 सितम्बर, 2023 तक) के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत निर्यात के लिए 2360 मी. टन खांड की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन करते हैं। इस अतिरिकत आबंटन से राजकोषीय वर्ष 2023 के लिए टीआरक्यू के तहत यूएसए को चीनी के निर्यात के लिए मात्रा निम्नानुसार होगीः

सार्वजनिक सूचना सं. और दिनांक	आबंटित चीनी की मात्रा (मी.टन)
दिनांक 16.11.2022 की सार्वजनिक सूचना सं. 36/2015–20 के तहत आबंटित मात्रा	8606
आबंटित अतिरिक्त मात्रा	2360
आबंटित कुल मात्रा	10966

2. टीआरक्यू के तहत यूएसए को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात अधिसूचना सं. 3/2015–20 दिनांक 20.04.2015 में 'प्रतिबंधों के स्वरूप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन 'मुक्त' है। सार्वजनिक सूचना सं. 36/2015–20 दिनांक 16.11.2022 के अनुसार रिपोर्टिंग की आवश्यकता का पालन किया जाना जारी रहेगा।

3. यूएसए को तरजीही चीनी के निर्यात के लिए उद्‌गम प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुंबई द्वारा जारी किया जाएगा। यूएसए को चीनी के निर्यात के लिए विशेष रूप से निर्धारित अन्य प्रमाणन आवश्यकता, यदि कोई हो, का पालन किया जाना जारी रहेगा।

सं. सारंगी

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

टीआरक्यू के अंतर्गत यूएसए को 30.09.2023 तक निर्यात के लिए 2360 मी.टन खांड की अतिरिक्त मात्रा अधिसूचित की गई है।

संतोष कुमार सारंगी
21.4.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

[फा. सं. 01/91/180/879/एएम–08/ईसी/खंड VIII/ई–20749 से जारी]